विषय वस्तु

प्रस्तावना			2
निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 पर मंत्रालयी घोषणा–पत्र			3
एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने " के लिए इंचियोन रणनीति			11
	क.	पृष्ठभूमि	14
	ख.	प्रमुख सिद्धांत और नीति निदेश	15
	ग.	इंचियोन ध्येय और लक्ष्य	16
	घ.	प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रविधियां :	37
		1. राष्ट्र स्तरीय	37
		2. उप–क्षेत्र स्तरीय	39
		3. क्षेत्र स्तरीय	39
अनुबंध			
निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक पर कार्य समूह के विचारार्थ विषय			42

प्रस्तावना

एशिया और प्रशांत क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्केप) की सरकारें 2013 से 2022 तक की अवधि के लिए निःशक्त जनों के नए एशिया और प्रशांत दशक के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2012 तक इंचियोन, कोरिया गणराज्य में एकत्र हुईं। इनमें निःशक्त जनों के संगठन सहित सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनके साथ में अंतर–शासकीय संगठन, विकास निगम एजेंसियां तथा संयुक्त राष्ट्र समुदाय भी उपस्थित था।

निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर एस्कोप द्वारा उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक का आयोजन किया गया और कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की गई। बैठक में निःशक्त जनों के दूसरे एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 के निष्कर्ष को चिन्हित किया गया और नए दशक का शुभारंभ किया गया।

उच्च स्तरीय अंतर–शासकीय बैठक में सरकारों ने निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 पर मंत्रालयी घोषणा पत्र तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति को अंगीकार किया।

इंचियोन रणनीति एशिया और प्रशांत क्षेत्र तथा विश्व को क्षेत्रीय स्तर पर सहमत निःशक्तता समावेशी विकास ध्येय का प्रथम खंड प्रदान करती है।

सरकारों और सिविल सोसायटी हितधारकों के साथ दो वर्षों से अधिक के समय तक परामर्श करने के बाद तैयार की गई इंचियोन रणनीति में 10 ध्येय, 27 लक्ष्य और 62 संकेतक शामिल हैं।

इंचियोन रणनीति एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के समावेशी, अवरोधमुक्त तथा अधिकारयुक्त समाज की दिशा में प्रयत्नशील बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क कार्रवाई और बिवाको प्लस फाइव पर समझौता करती है।

इंचियोन रणनीति से एशिया और प्रशांत क्षेत्र को इस क्षेत्र के 650 मिलियन निःशक्त जनों, जिनमें अधिकांश गरीबी की स्थिति में हैं, के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनके अधिकारों की पूर्ति की जानकारी रखने में मदद मिलेगी। 'एस्केप' सचिवालय को मंत्रालयी घोषणा और इंचियोन रणनीति को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति पर 2022 में दशक की समाप्ति तक हर तीन वर्षों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 पर मंत्रालयी घोषणा–पत्र

हम, संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्कैप) के मंत्रीगण तथा सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों के प्रतिनिधि, दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2012 तक इंचियोन, कोरिया गणराज्य में आयोजित निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतरःशासकीय बैठक में एकत्र हुए ,

यह स्मरण करते हुए कि आम सभा के दिनांक 3 दिसंबर, 1982 के संकल्प 37/52 के तहत सभा ने निःशक्त जनों से संबंधित वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम[1] को अंगीकार किया था और सभा के दिनांक 20 दिसंबर, 1993 के संकल्प 48/96 के तहत निःशक्त जनों के लिए समान अवसरों के संबंध में मानक नियमों को अंगीकार किया था, जिनमें कि निःशक्त जनों को विकास के सभी पहलुओं में विकासकर्ताओं और लाभार्थियों, दोनों के रूप में अभिज्ञात किया गया था ,

यह भी स्मरण करते हुए कि आम सभा के दिनांक 13 दिसंबर, 2006 के संकल्प 61/106 के तहत सभा ने दिनांक 3 मई, 2008 को प्रवृत्त, निःशक्त जनों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकोल पर समझौते को अंगीकार किया था ,

साथ ही यह भी स्मरण करते हुए कि आम सभा के "सहस्त्राब्दी विकास के ध्येय को हासिल करने की प्रतिबद्धता को बनाए रखना" विषयक दिनांक 22 सितंबर, 2010 के संकल्प 65/1 के तहत सभा ने अन्य के साथ–साथ यह माना था कि नीतियां और कार्रवाइयां गरीबों और ऐसे लोगों पर केन्द्रित होनी चाहिए, जिनकी स्थिति बिलकुल ही नाजुक है और उनमें निःशक्तजन भी शामिल हैं, ताकि वे सहस्त्राब्दी विकास के ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति से लाभ प्राप्त कर सकें ,

आम सभा के उस निर्णय का *स्वागत करते हुए कि* " 2015 और उसके बाद के लिए एक निःशक्तता समावेशी विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने "[2] शीर्षक के साथ राज्य और शासन के प्रमुखों के स्तर पर सहस्त्राब्दी विकास के ध्येय और निःशक्त जनों के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सहमत विकास के ध्येय को हासिल करने के संबंध में दिनांक 23 सितंबर, 2013 को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी,

यह स्मरण करते हुए कि आम सभा के 10 सितंबर, 2012 के संकल्प 66/290 के तहत मानव सुरक्षा की साझा समझ पर सहमति की उल्लेख किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि सभी व्यक्ति, विशेषकर अति संवेदनशील व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का आनंद लेने और अपनी मानवीय क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हकदार हैं,

यह भी स्मरण करते हुए कि निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 1993–2002 के संबंध में आयोग के 23 अप्रैल, 1992 के संकल्प 48/3 के तहत आयोग ने विश्व में ऐसे पहले क्षेत्रीय दशक की घोषणा की थी ,

साथ ही यह भी स्मरण करते हुए कि 21वीं शदी में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए एक समावेशी, अवरोधमुक्त और अधिकार–आधारित समाज को प्रोत्साहित करने के संबंध में आयोग के दिनांक 22 मई, 2002 के संकल्प 58/4 के तहत आयोग ने एक अन्य दशक 2003 से 2012 के लिए निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक का विस्तार करने की घोषणा की गई थी ,

यह स्मरण करते हुए कि निःशक्त जनों के दशक, 2003–2012 के दौरान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए एक समावेशी, अवरोधमुक्त और अधिकारों पर आधारित समाज की दिशा में कार्रवाई करने के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क के क्षेत्रीय कार्यान्वयन के संबंध में आयोग के दिनांक 4 सितंबर, 2003 के संकल्प 59/3 के तहत आयोग के सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों से अन्य बातों के साथ–साथ बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क पर कार्रवाई को कार्यान्वित करने में सहायता करने का अनुरोध किया था ,

---

1 ए/37/351/ एड ' 1 और करेक्सन 1, अनुबंध, खंड VIII सिफारिश , 1(IV).

2 आम सभा का 19 दिसंबर, 2011 का संकल्प 66/24 देखें।

यह भी स्मरण करते हुए कि एशिया और प्रशांत में निःशक्त जनों के लिए एक समावेशी, अवरोधमुक्त और अधिकारों पर आधारित समाज की दिशा में कार्रवाई के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क और बिवाको प्लस फाइव के क्षेत्रीय कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के संकल्प 64/8 के तहत आयोग ने निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 के समापन वर्ष, 2012 के बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क पर कार्रवाई तथा बिवाको प्लस फाइव के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक आयोजित करने का अधिदेश दिया था,

इसके अलावा यह स्मरण करते हुए कि निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा से संबंधित उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के लिए क्षेत्रीय तैयारी के संबंध में आयोग के दिनांक 19 मई, 2010 के संकल्प 66/11 के तहत आयोग ने उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के लिए तैयारी प्रक्रिया में एशिया और प्रशांत से निःशक्त जनों के संगठनों सहित सभी प्रमुख हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया था,

यह स्मरण करते हुए कि आयोग के दिनांक 23 मई, 2012 के संकल्प 68/7 के तहत आयोग ने निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 की घोषणा की थी और सभी सदस्यों तथा एसोसिएट सदस्यों से उच्चस्तरीय अंतरःशासकीय बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा दशक के क्रियान्वयन में मार्ग निर्देशन के लिए एक ऐसे रणनीतिक फ्रेमवर्क पर विचार करने और अपनाने का निवेदन किया था, जो निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन में विनिर्दिष्ट सामान्य सिद्धांतों और बाध्यताओं पर आधारित हो,

यह नोट करते हुए कि निःशक्तता पर विश्व बैंक का अनुमान, कि 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में निःशक्त है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 650 मिलियन निःशक्त आबादी होती है, जिनमें 80 प्रतिशत विकासशील देशों[3] में रह रहे हैं ,

उस प्रगति का *स्वागत करते हुए* जो निःशक्त जनों की समावेशी विकास, विशेषकर नीतिगत और संस्थागत प्रतिबद्धताओं के साथ–साथ कानून बनाने और अधिकार प्रदान में नवीन प्रयास करके निःशक्त जनों की गरिमा पर ध्यान देने के साथ एक अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने में 'एस्केप' के सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों द्वारा 1993 से 2012 तक की अवधि के दो एशिया और प्रशांत दशकों की अवधियों के दौरान हासिल की गई है ,

सिविल सोसायटी, विशेषकर निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों के उन योगदानों की सराहना *का उल्लेख करते हुए,* जो विविध निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के अधिकारों को उठाकर, अच्छे व्यवहारों का नवोन्मेष करके तथा नीतिगत वार्ता के द्वारा निरंतर जागरूकता लाने सहित हासिल की गई प्रगति के प्रति हैं,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पोर्टविला में आयोजित 41वें प्रशांत द्वीपसमूह फोरम में प्रशांत नेतृत्व ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 2010[4] के पत्र के तहत निःशक्त जनों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, एक निःशक्तता – समावेशी प्रशांत का निर्माण करने में समन्वयन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने तथा निःशक्त जनों के अधिकारों और अन्य निशक्तता संबंधी मानव अधिकार तंत्रों और कंवेंशन के कार्यान्वयन की दिशा में हितधारक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने के लिए निःशक्तता पर प्रशांत क्षेत्रीय रणनीति 2010–2015[5] के लिए अपना सशक्त समर्थन प्रदान करने की पुष्टि की थी

सराहना के साथ नोट करते हुए कि बाली, इंडोनेशिया में दक्षिण–पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) द्वारा आयोजित अपने 19वें शिखर सम्मेलन में आसियान समुदाय[6] में निःशक्त जनों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने पर दिनांक 17 नवंबर, 2011 को अंगीकृत बाली घोषणा के तहत आसियान ने अन्य बातों के साथ साथ 2011 से 2020 की अवधि को आसियान निःशक्त जन दशक के रूप में घोषित किया था ताकि निःशक्त जनों की प्रभावी भागीदारी और आसियान

---

3 विश्व स्वास्थ्य संगठन/ विश्व बैंक की निःशक्तता के संबंध में विश्व रिपोर्ट (जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011), पृष्ठ 29.

4 वेबसाइट www.forumsec.org/resources/uploads/attachement/documents/2010 foram comminique pdf. देखें

5 प्रशांत द्वीप समूह फोरम सचिवालय, दस्तावेज PIFS(09) FDMM.07 (www forumsec.org.lj पर उपलब्ध)

6 वेबसाइट www.aseanoc.org/documents/19th%20summit/Bali. Declaration-on-disabled-person pdf. देखें

समुदाय के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्तंभों पर आसियान नीतियों तथा कार्यक्रमों में निःशक्तता दृष्टिकोणों को मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित हो सके ,

इस बात का स्वागत करते हुए कि फोर्थ हाई–लेवल फोरम ऑन ऐड इफेक्टिवनेस, बुसान, कोरिया गणराज्य द्वारा दिनांक 1 दिसंबर, 2011 को अंगीकृत प्रभावी विकास सहयोग[7] के लिए बुसान भागीदारी के तहत अन्य बातों के साथ–साथ किफायती विकास के लिए सहयोग का आधार तैयार करने के लिए निःशक्तता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के महत्व को स्वीकार किया था,

इस बात का भी स्वागत करते हुए कि बीजिंग फोरम द्वारा "अवरोधों को हटाना, एकीकरण को बढ़ावा देना" विषय के साथ दिनांक 8 जून, 2012 को अंगीकृत निःशक्तता समावेशी विकास[8] पर बीजिंग घोषणा के तहत अन्य बातों के साथ निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन के अनुसमर्थन और कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा विविध क्षेत्रों में 2015 के बाद के संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंडा में निःशक्तता के आयाम को सम्मिलित करने के महत्व को स्वीकार किया था ,

यह नोट करते हुए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तता एवं विकास कंसोर्टियम को एक संयुक्त दस्तावेज, समुदाय आधारित पुनर्वास दिशानिर्देशों के तहत निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन[9] के तहत निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन का कार्यान्वयन करने के लिए एक कापर, बहु–क्षेत्रीय गरीबी उपशमन रणनीति का प्रावधान किया गया है ,

यह स्मरण करते हुए दिनांक 22 जून, 2012 को अंगीकृत "द फ्यूचर वी वांट"[10] विषयक सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आउटकम दस्तावेज के तहत अन्य बातों के साथ–साथ निःशक्त जनों की पहचान और की गई थी और उनके अधिकारों को सतत विकास प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपायों में शामिल करने के लिए स्वीकार किया गया था ,

चिंता के साथ *नोट करते हुए कि* अभी भी ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एशिया और प्रशांत में निःशक्त जनों को आर्थिक और सामाजिक अवसरों तथा राजनैतिक भागीदारी और जीवन के अन्य सभी पहलुओं की समान प्राप्ति का अधिकार मिले ,

इस बात को रेखांकित करते हुए कि एशिया और प्रशांत में लगातार तेजी से जनसंख्या उम्र बढ़ने के दीर्घावधिक परिणामों में निःशक्तता आयामों का समाधान करने की जरूरत है,

गंभीर चिंता के साथ *नोट करते हुए कि* एशिया और प्रशांत में निःशक्त जनों पर आपदा के असंगत प्रभाव पड़े थे, जो पिछले तीन दशकों में सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है ,

गंभीर चिंता के साथ *यह भी नोट करते हुए कि* अभी भी निःशक्त जनों के प्रति नकारात्मक रूढ़ीवादी और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निःशक्त जनों को भौतिक वातावरण, जन परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार की सुलभता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग सहित उनके अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए अवसर बढ़ते जा रहे हैं ,

---

7 वेबसाइट www.aideflectiveness.org/busanhlf/4imges/stories/hlf4/OUTCOME DOCUMENT - FINAL-FN pdf. देखें

8 देखें E/ESCAP/APDDP93)/INF/5.

9 वेबसाइट देखें www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/on/index.html.

10 देखें आम सभा का दिनांक 27 जुलाई, 2012 का संकल्प 66/288.

1. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति *अंगीकार की जाए*, जिसका संबंध ऐसी उत्प्रेरक कार्रवाई करने से है, जिनमें निःशक्त जनों के नए एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 के दौरान तेजी आएगी, एक ऐसे समावेशी समाज के क्षेत्रीय विजन की उपलब्धि होगी, जो एशिया और प्रशांत में निःशक्त जनों के अधिकारों को आश्वास्त करता है, बढ़ावा देता है और कायम रखता है ;

2. निःशक्त जनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, बढ़ावा देने तथा कायम रखने और विविध क्षेत्रों में 2015 के बाद विकास एजेंसियों में निशक्तता के आयामों को शामिल किए जाने को प्रोत्साहित करने में सरकार की केन्द्रीय भूमिका को *स्वीकार किया जाए* ;

3. इंचियोन के ध्येय और लक्ष्यों को 2022 तक हासिल करने के लिए संवर्धनात्मक कार्रवाई करके वर्तमान घोषणा पत्र और इंचियोन रणनीति को लागू करने के लिए *प्रतिबद्ध रहें* ;

4. वर्तमान घोषणा पत्र और इंचियोजन रणनीति को लागू करने के लिए योगदान करने हेतु एक क्षेत्र व्यापी भागीदारी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित सहित सभी संबंधित हितधारकों को *आमंत्रित किया जाए* ;

   क. दक्षिण–पूर्वी राष्ट्र संघ, आर्थिक सहयोग संगठन, प्रशांत द्वीप समूह फोरम तथा क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सहित उप–क्षेत्रीय अंतर–शासकीय संस्थाओं को, 'एस्केप' के समन्वय से निःशक्तता समावेशी विकास के लिए उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने के लिए ;

   ख. विकास सहयोग एजेंसियों को, उनकी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में निःशक्तता समावेश को सुदृढ़ करने के लिए ;

   ग. विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक को, एशिया और प्रशांत में निःशक्तता समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तकनीकी और वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए ;

   घ. कार्यक्रमों, निधियों और विशिष्ट एजेंसियों सहित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली तथा एस्केप को, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह तथा संयुक्त राष्ट्र देशीय दलों जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मौजूदा तंत्रों का प्रभावी उपयोग करके एशिया और प्रशांत में संयुक्त रूप से निःशक्तता समावेशी विकास करने के लिए ;

   ङ. सिविल सोसाइटी संगठनों, विशेषकर निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों को, विविध निःशक्तता समूहों तक पहुंचने सहित निःशक्त जनों की आकांक्षाओं और जरूरतों पर निरंतर प्रतिक्रिया देने के लिए दशक की निगरानी और मूल्यांकन करने में प्रभावी रूप से भागीदारी तथा नीति और कार्यक्रम विकास और कार्यान्वयन के लिए योगदान देने के लिए ;

   च. निःशक्त जनों के संगठनों को, इंचियोन रणनीति से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए ;

   छ. निजी क्षेत्र को, निःशक्तता समावेशी कारोबार व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए ;

5. 'एस्केप' के कार्यकारी सचिव से निम्नलिखित के लिए *अनुरोध किया जाए* :

   क. अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान घोषणा पत्र तथा इंचियोन रणनीति को पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समर्थक सदस्यों तथा एसोसिएट सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए ;

ख. वर्तमान घोषणा पत्र तथा इंचियोन रणनीति को लागू करने में हितधारकों को शामिल करने तथा उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ;

ग. आयोग को इसके 69वें सत्र में स्वीकृति के लिए इस उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के आउटकम प्रस्तुत करने के लिए ;

घ. इस उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के आउटकम को, आम सभा के अध्यक्ष के माध्यम से दिनांक 23 सितंबर, 2013 को होने वाली निःशक्त जनों के लिए सहस्त्राब्दी विकास के ध्येय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत विकास ध्येय को हासिल करने संबंधी उच्चस्तरीय बैठक को प्रस्तुत करने के लिए ;

ङ. वर्तमान घोषणा पत्र और इंचियोन रणनीति को लागू करने में हुई प्रगति के संबंध में हर तीन वर्षों में दशक की समाप्ति तक आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए ;

च. निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति को लागू करने के लिए आयोग को 17वें सत्र में प्रस्तुत करने के लिए सूचना आवश्यकताओं सहित एक रोडमैप तैयार करने के लिए ;

6. *यह सिफ़ारिश की जाए कि* आयोग अपने 69वें सत्र में दशक के मध्य में (2017) दशक की प्रगति की समीक्षा करने और दशक के निष्कर्ष को चिन्हित करने के लिए (2022) एक उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक आयोजित करने का निर्णय ले।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति

उद्देश्य : निशक्तता समावेशी विकास और सी आर पी डी अनुसमर्थन तथा कार्यान्वयन में तेजी लाना	20 वर्षों के अनुभवों से विकसित : निशक्तजनों के एशिया और प्रशांत दशक :1993–2002 तथा 2003–2012	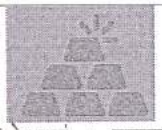 प्रमुख विशेषताएं : समयबद्ध और परिमेय इंचियोन ध्येय और लक्ष्य
सी आर पी डी सिद्धांतों पर आधारित	ध्येय को हासिल करने की समय–सीमा : निशक्त जनों का एशिया और प्रशांत दशक, 2013 से 2022	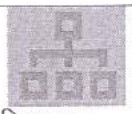 एक निःशक्तता समावेशी एशिया–प्रशांत के लिए, भागीदारियों को आगे बढ़ाया जाए : • बहु–क्षेत्रीय • बहु–हितधारक • बहु–स्तरीय

"अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए 10 ध्येय

1 गरीबी का उपशमन तथा कार्य और रोजगार की संभावना में वृद्धि करना	2 राजनैतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ाना	3 भौतिक वातावरण, जन परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार तक पहुंच बढ़ाना
4 सामाजिक संरक्षण को मजबूत बनाना	5 निःशक्त बच्चों के लिए प्रारंभिक सहायता और शिक्षा का विस्तार करना	
6 लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना	7 निःशक्तता समावेशी आपदा जोखिम में कमी तथा प्रबंधन सुनिश्चित करना	8 निःशक्तता आंकड़ों की विश्वसनीयता और तुलनात्मकता में सुधार लाना
9 निःशक्त जनों पर कन्वेंशन के अनुसमर्थन और कार्यान्वयन में तेजी लाना तथा राष्ट्रीय विधान को कन्वेंशन के अनुरूप बनाना		10 उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर–क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति

क. पृष्ठभूमि

1. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति के विकास की व्युत्पत्ति, निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दो लगातार दशकों, 1993–2002 तथा 2003–2012 से प्राप्त अनुभवों तथा निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन की सन् 2006 में हुई आम सभा द्वारा ऐतिहासिक अंगीकार किए जाने से हुई।[क]

2. इंचियोन रणनीति के विकास को सरकारों, निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों तथा अन्य हितधारकों से लाभ मिला। इसे निम्नलिखित क्षेत्रीय परामर्शों के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियों, फीडबैक तथा जानकारियों से आकर्षण मिला : निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह बैठक एवं हितधारक परामर्श, बिवाकों फ्रेमवर्क कार्रवाई (बैंकांक, 23–25 जून, 2010); सामाजिक विकास समिति, दूसरा सत्र (बैंकांक, 19–21 अक्टूबर, 2010); निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 की अंतिम समीक्षा पर उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के लिए क्षेत्रीय हितधारक परामर्श (बैंकाक, 14–16 दिसंबर, 2011); तथा निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक 2003–2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के लिए क्षेत्रीय तैयारी बैठक (बैंकाक, 14–16 मार्च, 2012)।

3. निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012 की अंतिम समीक्षा पर 'एस्केप' निःशक्तता सर्वेक्षण 2011–2012 पर सरकारों तथा निःशक्त जनों तथा निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों की प्रतिक्रिया में इंचियोन रणनीति विकसित करने के लिए एक व्यापक साक्ष्य आधार प्रदान किया गया है।

4. इंचियोन रणनीति का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के लिए एक समावेशी, अवरोधमुक्त तथा अधिकारों पर आधारित समाज की दिशा में बिवाकों फ्रेमवर्क कार्रवाई तथा बिवाकों प्लस फाइव के व्यापक दायरे को प्रतिध्वनित करने का नहीं है, ये सभी निःशक्तता के क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य करने के लिए पूर्व प्रभावी नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेंगे।

5. सहस्त्राब्दी विकास ध्येय[ख] की तरह ही इंचियान ध्येय और लक्ष्य समयबद्ध हैं, जो नए दशक 2013–2022 की अवधि के दौरान प्राथमिकता ध्येय और लक्ष्यों की उपलब्धियों पर विशेष ध्यान देकर कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों तथा प्रदेशों द्वारा हासिल की जाने वाली प्रगति को मापने के लिए हों।

ख. प्रमुख सिद्धांत और नीति निर्देश

6. इंचियोन रणनीति निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन के सिद्धांतों पर आधारित है :

   क. जन्मजात गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान, जिसमें स्वयं का विकल्प देने की स्वतंत्रता तथा व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है;

   ख. भेदभाव रहित;

   ग. पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी तथा समाज में समावेश;

   घ. मानव विविधता और मानवीयता के भाग के रूप में भिन्नता का सम्मान तथा व्यक्तियों की स्वीकार्यता;

क. आम सभा संकल्प 61/106, अनुबंध 1.

ख. सहस्त्राब्दी विकास ध्येय में 21 लक्ष्य तथा 60 संकेतक शामिल हैं।

ङ. समान अवसर;

च. सुगम्यता;

छ. पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता;

ज. निःशक्त बच्चों की विकासशील क्षमताओं का सम्मान तथा उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए निःशक्त बच्चों के अधिकार का सम्मान

7. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों के अधिकारों को स्वीकार करने और उनके संरक्षण के लिए, इंचियोन रणनीति में निम्नलिखित नीति निर्देशन रेखांकित किए गए हैं :

क. अधिकारों की पूर्ति में सहायक विधायी, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय अंगीकृत, कार्यान्वित, समीक्षाकृत और सुदृढ़ीकृत किए जाएं ताकि निःशक्तता आधारित भेदभाव दूर हो सकें;

ख. निःशक्त जनों को अधिकारों की पूर्ति सुकर बनाने के लिए विकासपरक नीतियों और कार्यक्रमों में निःशक्तता का समावेश तथा लैंगिक भेदभाव के प्रति सचेतता तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ वैश्विक स्वरूप को जोड़ने की क्षमता को उपयोग में लाया जाए;

ग. विकासपरक नीतियों और कार्यक्रमों में निःशक्त जनों और उनके परिवारों, जो गरीबी की अवस्था में हैं, की बुनियादी जरूरतों को शामिल किया जाए;

घ. लैंगिक रूप से पृथक किए गए निःशक्तता के आंकड़ों का प्रभावी और समय पर एकत्रण तथा विश्लेषण करके साक्ष्य आधारित नीति निर्माण किया जाए;

ङ. राष्ट्रीय, उप–राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियां तथा कार्यक्रम ऐसी योजनाओं पर आधारित हों, जिनमें निःशक्त जनों का स्पष्ट तौर पर समावेश हो और वे संगत निर्णय प्रक्रियाओं में निःशक्त जनों की उनके प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी को भी प्राथमिकता दें;

च. निःशक्तता, समावेशी विकास के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक बजट सहायता प्रदान की जाए और कर नीतियां भी निःशक्त जनों के समावेश में मददगार होनी चाहिए;

छ. सभी विकास चाहने वाली राष्ट्रीय, उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों में निःशक्तता का आयाम शामिल करें;

ज. राष्ट्रीय, उप राष्ट्रीय और स्थानीय समन्वयन उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सम्पर्कों के साथ यह सुनिश्चित करें कि बहु क्षेत्रीय परामर्श तथा सहयोग को तीव्र बनाकर विकास नीतियों और कार्यक्रमों में निःशक्तता को शामिल किया जाए ताकि दशक के कार्यान्वयन और अंश संबंधी अच्छे व्यवहारों में तेजी आ सके;

झ. समुदाय और परिवार आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी निःशक्त जन, चाहे सामाजिक–आर्थिक स्थिति, धार्मिक मान्यताएं, जातीयता और स्थान कुछ भी हो, विकास पहलों, विशेषकर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से लाभांवित होने अथवा योगदान देने के लिए अन्य के बराबर हैं;

ञ. निःशक्त जनों को समुदाय जीवन की मुख्यधारा में शामिल किया जाए और अन्य लोगों के समान स्वतंत्र रहने के विकल्प सहित जीवन के विकल्पों में सहायता दी जाए;

ट. निःशक्त जनों को समुचित आवास प्रदान करके वैश्विक डिजाइन और सहायक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से और आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक और अन्य सांस्कृतिक विविधता वाले पहलुओं, जो उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से एक महत्वपर्ण सेतु बनाते हैं, को समायोजित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक ढंग से भौतिक वातावरण, जन परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार सुलभ होना चाहिए ;

ठ. विभिन्न निःशक्तता समूहों को सशक्त बनाया जाए, जिनमें अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह शामिल हैं: निःशक्त लड़के और लड़कियां, निःशक्त युवा, निःशक्त महिलाएं, बौधिक, शिक्षण और विकासात्मक अक्षमता वाले व्यक्ति, आत्मविमोही व मनो सामाजिक अक्षमता वाले व्यक्ति, बधिर, कम सुनने वाले और ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, बहरे व अंधे व्यक्ति, विविध निःशक्तता वाले व्यक्ति, व्यापक निःशक्तता वाले व्यक्ति, निःशक्त वृद्ध व्यक्ति, एच आई वी ग्रस्त निःशक्त व्यक्ति, गैर–संक्रामक रोगों से उत्पन्न निःशक्तता वाले व्यक्ति, कुष्ठ रोग से प्रभावित निशक्तता वाले व्यक्ति, चिकित्सा कारणों और असाध्य मिर्गी से निःशक्त हुए व्यक्ति, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से निःशक्त हुए व्यक्ति, निःशक्तता वाले देशी और जातीय अल्पसंख्यक व्यक्ति, बेघर और अपर्याप्त वास वाले निःशक्त व्यक्ति, सैन्य संघर्ष, मानवीय आकस्मिकताओं तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति सहित जोखिम की स्थिति में निःशक्त हुए व्यक्ति, जमीनी सुरंग का शिकार हुए निःशक्त व्यक्ति, ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जिनके पास कोई कानूनी दर्जा नहीं है, घरेलू हिंसा के शिकार, निःशक्त व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं, बच्चे तथा परिवार परामर्श समूह तथा स्लमों, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे विशेष रूप से किनारा किए गए व्यक्ति;

ड. निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और स्व–परामर्श समूहों, जिनके परिवारों को सहायता की जरूरत पड़ती है तथा देख रेख करने वालों के निर्णय लेने में समुचित भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किनारा किए गए समूहों के हितों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाए;

ढ. व्यवहार और आचरण में सुधार लाने तथा कार्यान्वयन प्रविधियों में प्रभावी बहु–क्षेत्रीय विनियोजन को कार्यप्रवृत्त करने के लिए दशक के दौरान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पर्याप्त बाजार सहायता का प्रावधान करके जागरूकता उत्पन्न करने पर कार्रवाई को सुदृढ़ बनाया जाए और उसे जारी रखा जाए।

ग. इंचियोन ध्येय और लक्ष्य

8. इंचियोन रणनीति 10 परस्पर संबद्ध ध्येयों, 27 लक्ष्यों तथा 62 संकेतकों से मिलकर बनी है।

9. ध्येयों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय–सीमा निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013 से 2022 तक की है।

10. ध्येयों में अपेक्षित समापन परिणामों का उल्लेख है। लक्ष्यों को दी गई निर्धारित समय–सीमा के भीतर हासिल करने का उद्देश्य रखा गया है। संकेतक लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को मापते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि लक्ष्यों को पूरा कर

लिया गया है। दो प्रकार के संकेतक हैं : मुख्य संकेतक और अनुपूरक संकेतक। सभी संकेतकों को, जहां भी संभव हो, लैंगिक आधार पर पृथक किया जाए।[ग]

ध्येय 1

गरीबी का उपशमन करना तथा कार्य और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करना

11. इस दशक के अंदर निःशक्त जनों और उनके परिवारों के बीच गरीबी कम करने में अधिक प्रगति होनी चाहिए। निःशक्त जनों को महत्वपूर्ण श्रम बाजार के नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनकी कम आर्थिक भागीदारी होती है तथा इसीलिए सशक्त जनों की बजाय असंगत रूप से ये अधिक गरीब होते हैं। एक अच्छी नौकरी और उस नौकरी को बनाए रखने में आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा समर्थन होना गरीबी से निजात पाने का एक सर्वोत्तम उपाय है। अतः जो लोग काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उन्हें बेहतर समर्थन, संरक्षण तथा ऐसा करने के लिए साधन प्रदान किए जाएं। इसके लिए अधिक समायोजनकारी श्रम बाजार की जरूरत होती है। निःशक्त जनों और उनके परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने से समावेशी विकास और सतत विकास हासिल करने में योगदान होगा।

लक्ष्य 1. क

निःशक्त जनों के बीच अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करना

लक्ष्य 1. ख

कार्यशील उम्र वाले निःशक्त जनों, जो काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं, के लिए काम और रोजगार बढ़ाना

लक्ष्य 1. ग

सरकारों द्वारा वित्तपोषित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य रोजगार सहायक कार्यक्रमों में निःशक्त जनों की भागीदारी बढ़ाना

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

1.1 विश्व बैंक द्वारा अद्यतन किए गए और समग्र आबादी की तुलना में संयुक्त राज्य $ 1.25 (पी पी पी) प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निःशक्त जनों का समानुपात

1.2 रोजगार में आम आबादी की तुलना में रोजगार में निःशक्त जनों का अनुपात

1.3 सरकार से वित्तपोषित व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य रोजगार सहायता कार्यक्रमों में भाग लेने वाले निःशक्त जनों का सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में समानुपात

अनुपूरक संकेतक

1.4 राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निःशक्त जनों का समानुपात

ग. प्रमुख संकेतक नए दशक के दौरान प्रगति में अंतर–देशीय हिस्सेदारी को सुकर बनाते हैं। ये ऐसे संकेतक हैं, जिनके लिए कुछ प्रयासों से डाटा सृजित किए जा सकते हैं। अनुपूरक संकेतक ऐसी ही सामाजिक और आर्थिक विकास स्थितियों में देशों के बीच प्रगति को जांचना सुकर बनाते हैं और इनके लिए डाटा एकत्रण करना कम आसान है।

ध्येय 2

राजनैतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ाना

12. राजनैतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में निःशक्त जनों की भागीदारी निःशक्त जनों के अधिकारों को साकार करने के लिए आधारशिला है। वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने और चुने जाने के अधिकार के योग्य होना इस ध्येय के लिए आधार है। यह दशक सभी स्तरों पर महिलाओं और युवाओं सहित निःशक्त जनों के विभिन्न समूहों की राजनैतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदारी में और भी अधिक व्यापक प्रगति का साक्षी होना चाहिए। इसके अलावा, निःशक्त जनों को सार्वजनिक निर्णय लेने के प्रक्रियाओं में भाग लेने तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करने और सोसायटी के पूर्ण सदस्यों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय सुधारों को भी प्रयोग में लाया जाए। सुधारों में, उच्चतम न्यायालय, मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय विधायी निकाय सहित सरकार की न्यायिक, कार्यकारी और विधायी शाखाओं में नियुक्ति समान रूप से सुलभ करने के लिए निःशक्त जनों के लिए एक समर्थकारी वातावरण का प्रावधान करना शामिल है।

लक्ष्य 2. क

यह सुनिश्चित करना कि निःशक्त जनों को सरकारों के निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व मिले

लक्ष्य 2. ख

निःशक्त जनों की राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए समुचित स्थान प्रदान करना

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

2.1 संसद अथवा समकक्ष राष्ट्रीय विधायी निकाय में निःशक्त जनों द्वारा धारित सीटों का समानुपात।

2.2 विविध निःशक्तता समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय निःशक्तता समन्वय तंत्र के सदस्यों का समानुपात।

2.3 निःशक्त जनों के लैंगिग समानता तथा महिलाओं की सशक्तता के लिए राष्ट्रीय तंत्र में प्रतिनिधित्व का समानुपात।

2.4 राष्ट्रीय राजधानी में सुगम्य मतदान केन्द्रों का समानुपात जिनसे निःशक्त मतदाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित रहे।

अनुपूरक संकेतक

2.5 राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त जनों द्वारा मंत्रिमंडल में स्थान पाने का समानुपात।

2.6 निःशक्त जनों द्वारा उच्चतम न्यायालय में जज बनाने का समानुपात।

2.7 ऐसे विधान की उपलब्धता जिसमें राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण को ऐसे तरीके से चुनाव प्रक्रिया करानी अपेक्षित हो, जो विविध निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए सुगम्य हो।

ध्येय 3

भौतिक वातावरण, जन परिवहन, ज्ञान, सूचना तथा संचार की सुलभता में वृद्धि

13. किसी भी समावेशी समाज में निःशक्त जनों के लिए उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए भौतिक वातावरण, जन परिवहन, ज्ञान, सूचना तथा संचार की सुलभता एक पूर्ण शर्त होती है। डिजाइन पर आधारित शहरी, ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों की सुलभता सुरक्षा को बढ़ाती है और न केवल निःशक्त जनों को बल्कि समाज के अन्य सभी सदस्यों को भी इनके उपयोग में आसानी होती है। सुलभता की जांच सुलभता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसमें नियोजन, डिजाइन, निर्माण, रखरखाव तथा निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की सभी अवस्थाएं शामिल होनी चाहिए। निःशक्त जनों के लिए उनके दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और गरिमा के साथ रहने के स्तर को अनुकूल बनाने के लिए सहायक उपकरणों और संगत सहायक सेवाओं की सुलभता भी एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। अल्प संसाधनों में रहने वाले लोगों के लिए सहायक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शोध, विकास, उत्पादन, वितरण तथा रख–रखाव को बढ़ावा दिया जाए।

लक्ष्य 3. क

राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के लिए मुक्त भौतिक वातावरण की सुलभता में वृद्धि करना।

लक्ष्य 3. ख

जन परिवहन की सुलभता और प्रयोज्यता में वृद्धि करना।

लक्ष्य 3. ग

सूचना और संचार सेवाओं की सुभता और प्रायोज्यता में वृद्धि करना।

लक्ष्य 3. घ

ऐसे निःशक्त जनों के समानुपात को आधा करना, जिन्हें समुचित सहायक साधनों अथवा उत्पादों की जरूरत तो है लेकिन उनके पास है नहीं।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

3.1 राष्ट्रीय राजधानी में सुगम्य सरकारी भवनों का समानुपात

3.2 सुगम्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का समानुपात

3.3 सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों के दैनिक शीर्षकों और उनकी इंगित भाषा की व्याख्या का समानुपात

3.4 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुलभता मानकों की पूर्ति करने वाले सुलभ और प्रयोज्य सार्वजनिक दस्तावेजों तथा वेबसाइटों का समानुपात

3.5 ऐसे निःशक्त जनों का समानुपात, जिन्हें सहायक साधनों अथवा उत्पादों की जरूरत है और उनके पास हैं

अनुपूरक संकेतक

3.6 एक सरकारी सुलभ जांच कार्यक्रम की उपलब्धता, जिसमें निःशक्त जनों की भागीदारी अपेक्षित है।

3.7 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों, जैसे मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई एस ओ) को ध्यान में रखते हुए जन सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले भवनों के लिए सभी डिजाइनों के अनुमोदन के लिए अवरोध मुक्त पहुंच के लिए अनिवार्य तकनीकी मानकों की उपलब्धता।

3.8 इंगित भाषा की व्याख्या करने वालों की संख्या।

3.9 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों, जैसे मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई एस ओ) को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए, वेबसाइट जैसी सभी आई सी टी संबंधी सेवाओं के अनुमोदन के लिए अवरोध मुक्त पहुंच के लिए अनिवार्य तकनीकी मानकों की उपलब्धता।

ध्येय 4

सामाजिक संरक्षण को मजबूत बनाना

14. एशिया और प्रशांत के विकासशील देशों में सामाजिक संरक्षण का दायरा प्रायः सामाजिक बीमा कार्यक्रमों तक ही सीमित रहता है और यह औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार अनुबंध के तहत आने वालों के लिए उपलब्ध होता है, जिसमें अधिकांश आबादी, विशेषकर निःशक्त जन पर्याप्त कवरेज के बिना छूट जाते हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निःशक्त जनों को अन्यों के समान ही सामाजिक संरक्षण मिले और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा और बुनियादी आय संरक्षण पर बल देते हुए इस सामाजिक संरक्षण को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा, समुदाय में स्वतंत्रतापूर्वक रहने के लिए निःशक्त जनों को सक्षम बनाने वाली व्यक्तिगत सहायता और गहन परामर्शी सेवाओं सहित किफायती सेवाओं का अभाव है। कई निःशक्त जनों के लिए ये सेवाएं समाज में उनकी भागीदारी के लिए पूर्व अपेक्षा होती हैं।

लक्ष्य 4. क

निःशक्त जनों के लिए पुनर्वास सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाना।

लक्ष्य 4. ख

निःशक्त जनों के लिए सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों के अंदर कवरेज बढ़ाना।

लक्ष्य 4. ग

निःशक्त जनों, खासकर समुदाय में स्वतंत्रतापूर्वक रहने में विविध, व्यापक और भिन्न निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने वाली व्यक्तिगत सहायता और गहन परामर्शी सेवाओं सहित ऐसी सेवाओं और कार्यक्रमों को बढ़ाना।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

4.1 आम आबादी की तुलना में सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का उपयोग करने वाले निःशक्त जनों का समानुपात

4.2 निःशक्त जनों का सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों सहित सामाजिक सरंक्षण कार्यक्रमों के अंदर कवरेज

4.3 निःशक्त जनों को समुदाय में स्वतंत्रपूर्वक रहने में सक्षम बनाने के लिए व्यक्तिगत सहायता और गहन परामर्शी सेवाओं सहित सरकारी वित्तपोषित सेवाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धता।

अनुपूरक संकेतक

4.4 आराम करने की सुविधा सहित देख रेख सेवाओं के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या।

4.5 राष्ट्रीय समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की उपलब्धता।

4.6 निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की उपलब्धता।

4.7 सहायता और समर्थन सेवाओं के लिए अमूर्त जरूरतों में कमी।

ध्येय 5

निःशक्त बच्चों के लिए प्रारंभिक सहायता और शिक्षा का विस्तार करना

15. बच्चों के विकास में विलंब और निःशक्तता से संबंधित मामलों को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिनमें अधिकतर बच्चे गरीबी में रह रहे परिवारों के होते हैं। एशिया और प्रशांत के अधिकांश क्षेत्रों में असमान संख्या में निःशक्त बच्चों को प्रारंभिक सहायता और शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध नहीं होते। विकासात्मक मापदंडों के अनुसार विकास में विलंब का पहले पता लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिशु और बच्चों की ऊंचाई और वजन को नियमित मापना महत्वपूर्ण है। विकासात्मक मापदंडों के अनुसार विकास में विलंब का पहले से पता लगाते रहने के लिए उनके सम्पूर्ण विकास के अनुकूल शीघ्र और समुचित कार्रवाई करना आवश्यक है। ऐसे शीघ्र हस्तक्षेप की कार्रवाई में अन्य बातों के साथ–साथ प्रेरणा, पोषण और देख–रेख तथा स्कूल–पूर्व शामिल है। प्रारंभिक बचपन कार्यक्रमों में निवेश से बाद के स्तरों की शिक्षा और प्रशिक्षण से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रारंभिक बचपन कार्यक्रमों के लिए सरकारी प्रतिबद्धता होने से उनके विकास परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। इसके अलावा, सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि निःशक्त बच्चों को, जिस समुदाय में वे रहते हैं, उनमें अन्यों के समान ही गुणवत्तापरक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिले। इस प्रक्रिया में निःशक्त बच्चों के लिए ज्यादा प्रभावी सहायता प्रदान करने में परिवारों को सहभागियों के रूप में शामिल करना होगा।

लक्ष्य 5. क

निःशक्त बच्चों के लिए जन्म से लेकर स्कूल–पूर्व आयु तक प्रारंभिक जांच और सहायता के उपायों में वृद्धि करना।

लक्ष्य 5. ख

निःशक्त बच्चों और सशक्त बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पंजीयन के अनुपात के बीच के अंतर को आधा करना।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

5.1 ऐसे निःशक्त बच्चों की संख्या, जो प्रारंभिक बचपन सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

5.2 निःशक्त बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए पंजीयन का अनुपात।

5.3 निःशक्त बच्चों की माध्यमिक शिक्षा के लिए पंजीयन का अनुपात।

अनुपूरक संकेतक

5.4 प्रसव पूर्व और जन्म पूर्व ऐसी देख–रेख सुविधाओं का समानुपात, जो बच्चों में निःशक्तता की पूर्व जांच से संबंधित सूचना और सेवाएं प्रदान करती हैं और निःशक्त बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करती है।

5.5 ऐसे बच्चों का समानुपात, जो बधिर हैं और इंगित भाषा में निर्देश ग्रहण करते हैं।

5.6 ऐसे दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का समानुपात, जिनके पास शैक्षिक सामग्रियां सहज सुलभ फार्मेट में हैं।

5.7 बौधिक निःशक्तता, विकासात्मक निःशक्तता, नेत्रहीन–बधिर, आत्म विमोही (ऑटिज्म) और ऐसी अन्य निःशक्तताओं वाले विद्यार्थियों का समानुपात, जिनके पास सहायक साधन, अनुकूल पाठ्यक्रम तथा समुचित शिक्षण सामग्रियां हैं।

ध्येय 6

लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना

16. निःशक्त बालिकाएं और महिलाएं अनेक प्रकार के भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। देख–रेख करने वालों पर निर्भरता से घिरे एकाकीपन के कारण उन्हें अनेक प्रकार के शोषण, जोर जबरदस्ती तथा दुर्व्यवहारों, परिचारक जोखिमों, एच आई वी संक्रमण, गर्भधारण तथा मातृत्व और शिशु मृत्यु जैसी अति असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। निःशक्त बालिकाएं और महिलाएं अधिकांशतः मुख्यधारा के लैंगिक समानता कार्यक्रमों में अदृश्य रहती हैं। यौन और जनन स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य सुविधा तथा संगत सेवाओं से संबंधित सूचना यदा–कदा ही सुलभ फार्मेट और भाषा में मिलती हैं।

वास्तव में दशक का वादा तभी पूरा होगा जब निःशक्त बालिकाओं और महिलाओं की मुख्यधारा के विकास में सक्रिय भागदारी रहे।

लक्ष्य 6. क

निःशक्त बालिकाओं और महिलाओं को समान रूप से मुख्यधारा के विकास अवसर सुलभ कराना।

लक्ष्य 6. ख

निःशक्त महिलाओं का सरकारी निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 6. ग

यह सुनिश्चित करना कि सभी निःशक्त बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बालिकाओं और महिलाओं के समान ही यौन और जनन स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति हो।

लक्ष्य 6. घ

निःशक्त बालिकाओं और महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार से संरक्षण दिलाने के उपयों में वृद्धि करना।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

6.1 ऐसे देशों की संख्या, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में निःशक्त महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना सम्मिलित करते हैं।

6.2 निःशक्त महिलाओं द्वारा संसद अथवा समकक्ष राष्ट्रीय विधायी निकाय में धारित सीटों का समानुपात।

6.3 सरकारी और सिविल सोसाइटी की यौन और जनन स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति में सशक्त महिलाओं और बालिकाओं की तुलना में निःशक्त बालिकाओं और महिलाओं का समानुपात।

6.4 निःशक्त महिलाओं और बालिकाओं पर किए गए हिंसा, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण का उन्मूलन करने के उद्देश्य से सरकार और संगत एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की संख्या।

6.5 किसी भी प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए पुनर्वास सहित देख–रेख और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार और संगत एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की संख्या।

लक्ष्य 7

निःशक्तता समावेशी आपदा जोखिम उपशमन और प्रबंधन सुनिश्चित करना

17. एशिया–प्रशांत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित आपदा का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निःशक्त जनों और अन्य संवेदनशील समूहों को आपदा उपमशन नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल न किए जाने के कारण मृत्यु, चोट और अतिरिक्त क्षति होने का जोखिम रहता है। जन सेवा घोषणाएं प्रायः ऐसे फार्मेट और भाषा में होती हैं, जो प्रायः निःशक्त जनों को सुलभ नहीं होती है। इसके अलावा आपातकालीन निकास , आश्रय और सुविधाएं

अवरोध मुक्त नहीं होती। निःशक्त जनों की स्थानीय और जिला स्तरों पर आकस्मिकता तैयारी कवायदों तथा अन्य आपदा जोखिम उपशमन उपायों में नियमित सहभागिता से आपदा आने के समय होने वाले जोखिम और क्षति को रोका अथवा कम किया जा सकेगा। वैश्विक डिजाइन सिद्धांतों को वास्तविक और सूचना अवसंरचना में शामिल किए जाने से सुरक्षा और बचाव के अवसरों में सुधार आएगा।

लक्ष्य 7. क

निःशक्तता समावेशी आपदा जोखिम उपशमन योजना को सुदृढ़ बनाना।

लक्ष्य 7. ख

आपदाओं के समय कार्रवाई करने में निःशक्त जनों को यथा समय और समुचित सहायता प्रदान करने संबंधी उपायों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

7.1 निःशक्तता समावेशी आपदा जोखिम उपशमन योजनाओं की उपलब्धता।

7.2 सभी संगत सेवा कार्मिकों के लिए निःशक्तता समावेशी प्रशिक्षण की उपलब्धता।

7.3 सुलभ आपातकालीन आश्रयों तथा आपदा राहत स्थलों का समानुपात।

अनुपूरक संकेतक

7.4 आपदाओं में मारे गए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए निःशक्त जनों की संख्या।

7.5 ऐसी मनोः सामाजिक सहायता सेवाओं की उपलब्धता जिनके पास आपदाओं से प्रभावित निःशक्त जनों की सहायता करने की क्षमता है।

7.6 आपदाओं के लिए तैयार रहने और कार्रवाई करने में निःशक्त जनों के लिए सहायक साधनों और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता।

लक्ष्य 8

निःशक्तता आंकड़ों की विश्वसनीयता और तुलनात्मकता में सुधार लाना

18. निःशक्त जनों को अनदेखा, अनसुना तथा अन गणना करने की प्रवृत्ति रही है। हाल के वर्षों में जब उनकी गणना की गई तो निःशक्तता आंकड़ों का संकलन करने के लिए प्रयुक्त "निःशक्तता" और "निशक्त जन" की परिभाषाओं में एशिया–प्रशांत क्षेत्र में व्यापक भिन्नता देखी गई। सभी देशों के एकत्रित तुलनात्मक आंकड़े निरंतर अविश्वसनीय हैं। एशिया–प्रशांत क्षेत्र को विविध निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों की आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में अधिक सटीक आंकड़ों की जरूरत है। पर्याप्त निःशक्तता आंकड़े होने से नीति निर्माताओं को निःशक्त जनों के अधिकारों की प्राप्ति में सहायता के लिए साक्ष्य आधार मिल सकेगा। यह दशक समय और सीमाओं के साथ तुलनात्मक निःशक्तता आंकड़ों को जुटाने के उद्देश्य से डाटा संकलन में वृद्धि करने का अवसर होगा। यह महत्वपूर्ण है कि इंचियोन रणनीति संकेतकों के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं ताकि ध्येय और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी प्रगति को जांचा जा सके।

लक्ष्य 8. क

निःशक्त जनों के लिए सुलभ फार्मेट में विश्वसनीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुलनात्मक निःशक्तता आंकड़ों को तैयार और प्रसारित करना।

लक्ष्य 8. ख

इंचियोन रणनीति में ध्येय और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को जांचने के स्रोत के रूप में दशक के बीच, अर्थात 2017 तक विश्वसनीय निःशक्तता आंकड़े स्थापित करना।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

8.1 आयु, लिंग, जाति तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति द्वारा क्रियाशीलता, निःशक्तता और स्वस्थता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आई सी एफ) पर आधारित निःशक्तता प्रबलता।

8.2 एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसी सरकारों की संख्या, जिन्होंने इंचियोन ध्येय और लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रगति को जांचने के लिए आधारभूत आंकड़े 2017 तक स्थापित कर लिए हैं।

8.3 मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य, यौन और जनन स्वास्थ्य सहित सरकारी सेवाओं के कार्यक्रमों में निःशक्त महिलाओं और बालिकाओं के संबंध में पृथक डाटा की उपलब्धता।

ध्येय 9

निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन की अभिपुष्टि और कार्यान्वयन में तेजी लाना तथा कंवेंशन के साथ राष्ट्रीय विधान की सामंजस्ता स्थापित करना।

19. निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन ऐसा पहला निःशक्तता विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन हैं जो निःशक्त जनों के अधिकारों की गरिमा, संरक्षण तथा पूर्ति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह कंवेंशन निःशक्त जनों को दया का पात्र समझे जाने से अलग एक अधिकार धारक के रूप में स्पष्ट तौर पर सशक्त बनाता है। एस्केप क्षेत्र ने कंवेंशन को शुरू करने और इसके प्रारूपण में एक साधनयुक्त और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार कंवेंशन में विश्व में 26 राज्य प्रतिभागी हैं और 154 हस्ताक्षरकर्ता हैं जिनमें से एशिया–प्रंशात क्षेत्र में 35 सरकारों ने कंवेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और 25 ने कंवेंशन का अनुमोदन किया है अथवा इसे स्वीकार किया है।

लक्ष्य 9. क

दशक के मध्य (2017) तक 10 और एशिया प्रशांत–सरकारें निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन को अनुमोदन अथवा स्वीकृति दे चुकी होगी और दशक के अंत (2022) तक 10 अन्य एशिया– प्रशांत सरकारें कंवेंशन को अनुमोदन अथवा स्वीकृति दे चुकी होंगी।

लक्ष्य 9. ख

ऐसे राष्ट्रीय कनूनों का अधिनियमन करना, जिनमें भेदभाव विरोधी प्रावधान, तकनीकी मानदंड तथा अन्य ऐसे उपायों को शामिल किया जाए जो निःशक्त जनों के अधिकारों को कायम रख सके और उन्हें संरक्षण प्रदान कर सके तथा ऐसे राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करें अथवा प्रभावहीन करें जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निःशक्त जनों के प्रति भेदभाव करते हैं ताकि कंवेंशन के साथ राष्ट्रीय कानूनों का सामंजस्य स्थापित हो सके।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

9.1 ऐसी सरकारों की संख्या, जिन्होंने कंवेंशन का अनुमोदन किया है अथवा स्वीकृति दी है।

9.2 निःशक्त जनों के अधिकारों को कायम रखने तथा उनका संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय भेदभाव रोधी कानूनों की उपलब्धता।

अनुपूरक संकेतक

9.3 ऐसी एशिया–प्रशांत सरकारों की संख्या, जिन्होंने निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन के लिए वैकल्पिक नयाचार का अनुमोदन किया है।

9.4 निःशक्त जनों के प्रति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भेदभाव रखने वाले संशोधित अथवा निष्प्रभावी कानूनों की संख्या।

ध्येय 10

उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर–क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना

20. दोनों एशिया और प्रशांत दशकों का अनुभव सीखे गए सबक, अच्छे व्यवहारों तथा अभिनव समाधानों का आदान–प्रदान करके उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर किए गए सहयोग की कीमत को रेखांकित करता है। सहयोग प्रभावकारिता पर चतुर्थ उच्च स्तरीय फोरम द्वारा दिनांक 1 दिसंबर, 2011 को अंगीकृत प्रभावी विकास सहयोग के लिए बुसान भागदारी[घ] (बुसान, कोरिया गणराज्य) में प्रभावी विकास के लिए सहयोग का आधार तैयार करने के लिए निःशक्तता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के महत्व की पहचान की गई। सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र इंचियोन ध्येयों और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अभिनव दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समक्ष अभी भी दीर्घावधिक चुनौतियां हैं। संघर्ष–पश्चात क्षेत्रों में, ऐसी चुनौतियां जैसे जमीनी सुरंगे और युद्ध मे अवशेष निःशक्तता के होने का अहसास दिलाते हैं और जीविका को प्रभावित करते हैं। यह दशक चुनौतियों का सामना करने और प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करने के लिए बहु क्षेत्रीय आयामों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अवसर प्रदान करता है।

लक्ष्य 10. क

घ. वेबसाइट www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf. देखें ।

निःशक्त जनों के एशिया–प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति के संबंध में मंत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 'एस्केप' द्वारा प्रबंधित 'एशिया–पैसेफिक मल्टी–डोनर ट्रस्ट फंड के लिए अंशदान तथा पहल और कार्यक्रम।

लक्ष्य 10. ख

एशिया – प्रशांत क्षेत्र में विकास सहयोग एजेंसियों द्वारा उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में निःशक्तता समावेश को सुदृढ करना।

लक्ष्य 10. ग

संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय आयोगों द्वारा निःशक्तता मामलों तथा निःशक्त जनों के अधिकारों पर केंवेंशन को लागू करने से संबंधित अनुभवों और अच्छे व्यवहारों के अंतर क्षेत्रीय आदान–प्रदान को सुदृढ़ करना।

प्रगति को जांचने के लिए संकेतक

प्रमुख संकेतक

10.1 निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति पर मंत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने में सहायता प्रदान करने के लिए सरकारों और अन्य दाताओं द्वारा एशिया–पैसेफिक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को वार्षिक स्वैच्छिक अंशदान

10.2 निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति के संबंध में मंत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने में सहायता प्रदान करने के लिए एशिया पैसेफिक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को प्रत्येक वर्ष अंशदान देने वाले दाताओं की संख्या।

10.3 निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति के संबंध में मंत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने में सहायता प्रदान करने के लिए पहलों और कार्यक्रमों को सरकारों अथवा अन्य दाताओं द्वारा दिया गया वार्षिक स्वैच्छिक अंशदान।

10.4 निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति के संबंध में मंत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने में स्पष्ट तौर पर सहायता प्रदान करने के दक्षिण–दक्षिणी सहयोग सहित क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों वाली संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की संख्या।

10.5 निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति के संबंध में मत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने में सहायता प्रदान करके दक्षिण–दक्षिणी सहयोग सहित क्षेत्रीय कार्यक्रमों वाले उप क्षेत्रीय अंतर–शासकीय निकायों की संख्या।

10.6 निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 और इंचियोन रणनीति के संबंध में मंत्रालयी घोषणा पत्र को लागू करने में सहायता प्रदान करने के लिए निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों की प्रतिभागिता वाले दक्षिण–दक्षिणी सहयोग सहित क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय परियोजनाओं की संख्या।

10.7 एशिया और प्रशांत में संचालित ऐसी विकास सहयोग एजेंसियों की संख्या, जिनके पास निःशक्तता समावेशी विकास के संबंध में, कंवेंशन को लागू करने और अनुमोदन करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने में सहायक अधिदेश, नीतियों, कार्रवाई योजनाएं तथा समर्पित और समुचित अनुभवी केन्द्रीय बिन्दु हैं।

10.8 निःशक्त जनों के अधिकारों पर कंवेंशन को लागू करने के लिए सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों के मध्य संयुक्त क्रियाकलापों की संख्या।

10.9 एस्केप और अन्य संगत एजेंसियों द्वारा, विशेषकर आई सी एफ संकल्पना और निःशक्तता आंकड़ों में प्रशिक्षित, एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सांख्यिकीविदों की संख्या।

10.10 संयुक्त राष्ट्र देशों अथवा क्षेत्रीय स्तर के विकास सहायता फ्रेमवर्क की संख्या, जो देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम बनाने में निःशक्त जनों के अधिकारों सहित उन पर संयुक्त राष्ट्र विकास समूह मार्ग निर्देश के अनुसार निःशक्तता समावेशी विकास पर चर्चा करते हैं।

घ. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रविधियां :
राष्ट्र स्तरीय, उप क्षेत्र स्तरीय तथा क्षेत्र स्तरीय

21. यह खंड उन प्रविधियों की पहचान करता है, जो मिलकर कार्यान्वयन को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करती हैं। विशेष रूप से ये प्रविधियां डाटा और सूचना तैयार करती हैं तथा दशक की अवधि में इंचियोन रणनीति को लागू करके निःशक्त जनों के अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए बहु स्तरीय सहयोग को सुदृढ़ बनाती है।

---

1. राष्ट्र स्तरीय

22. इंचियोन रणनीति को लागू करने के लिए प्रमुख भाग के रूप में राष्ट्रीय निःशक्तता समन्वयन तंत्र एवं इसकी सभी महत्वपूर्ण उप राष्ट्रीय कड़िया हैं।

23. ऐसे कई तंत्रों को निःशक्त जनों के पिछले दो एशिया प्रशांत दशकों के दौरान स्थापित किया गया था। अतः वे राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर इंचियोन रणनीति को लागू करने में समन्वयन तथा प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी संभालेंगे।

24. राष्ट्रीय समन्वयन तंत्रों के तत्वावधान में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इंचियोन रणनीति को लागू करने में प्रगति को जांचने और संकेतकों के लिए आधारभूत डाटा स्थापित करने के लिए केन्द्रीय बिन्दु का कार्य संभालेंगे।

25. राष्ट्रीय निःशक्तता समन्वयन तंत्र के कार्यों में अन्य के अलावा निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :

क. सभी स्तरों पर विविध क्षेत्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा सरकारी संस्थानों, निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित संगठनों और उनके परिवार सहायता समूहों सहित सिविल सोसायटी, शोध संस्थानों और इंचियोन रणनीति को लागू करने के लिए बहु क्षेत्रीय और राष्ट्र व्यापी कार्यों के लिए निजी क्षेत्र को संघटित करना ;

ख. इंचियोन रणनीति के ध्येय और लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं का विकास, निगरानी तथा रिपोर्ट तैयार करना ;

ग. इंचियोन रणनीति को राष्ट्रीय भाषाओं में अनुदित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सुलभ फार्मेट में राष्ट्रीय भाषा के पाठ सभी क्षेत्रों तथा सभी प्रशासनिक स्तरों पर व्यापक प्रसार के लिए उपलब्ध हों ;

घ. निःशक्त जनों को सकारात्मकता का बोध कराने के लिए पूरे दशक के दौरान जागरूकता पैदा करने के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाना" अभियान जैसे राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय अभियान चलाना ;

ङ. नीति निर्माण के लिए आधार के रूप में निःशक्त जनों की स्थिति पर शोध को प्रोत्साहन और सहायता देना ;

26. संयुक्त राष्ट्र देशों की टीमें उप राष्ट्रीय स्तरों सहित कार्यान्वयन में निर्देशित परामर्श, समन्वयन और सहयोग के लिए विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय समन्वयन तंत्रों के पुनरुद्धार और कार्यप्रणाली में यथा आवश्यक सहायता करेगी।

2. उप क्षेत्र स्तरीय

27. उप क्षेत्रीय अंतर–शासकीय संस्थाओं जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, आर्थिक सहयोग संगठन, प्रशांत द्वीप समूह फोरम तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की उनके संगत अधिदेश के अंदर निःशक्तता समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करके मंत्रालयी घोषणा तथा इंचियोन रणनीति के त्वरित कार्यान्वयन के लिए योगदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

28. एस्केप सचिवालय निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 को बढ़ावा देने में उप–क्षेत्रीय अंतर शासकीय निकायों के साथ भागीदारी में उप क्षेत्रीय और अंतर–उप क्षेत्रीय सहयोग में सहायता प्रदान करेगा। ऐसा करने में यह निःशक्तता समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इसकी क्षेत्रीय संस्थानों[ङ] की सहायता से उत्तरी और मध्य एशिया, पूर्वी और उत्तर–पूर्वी एशिया, प्रशांत, और दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम एशिया में इसके उप–क्षेत्रीय कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी को उपयोग में लाएगा।

---

3. क्षेत्र स्तरीय

29. एस्केप सदस्य और एसोसिएट सदस्य सामाजिक विकास संबंधी समिति अथवा इसकी समकक्ष समिति के नियमित सत्र में मंत्रालयी घोषणा तथा इंचियोन रणनीति को लागू करने में प्रगति, चुनौतियों तथा अच्छे व्यवहारों पर चर्चा करेंगे। सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों को सत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

30. निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 पर एक क्षेत्रीय कार्य समूह स्थापित किया जाएगा। यह कार्य समूह समूचे दशक के दौरान पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करेगा। इसके कार्य परामर्श के प्रावधान पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और सदस्यों तथा एसोसिएट सदस्यों को मंत्रालयी घोषणा पत्र और इंचियोन रणनीति के क्षेत्रीय कार्यान्वयन के संबंध में समुचित सहायता प्रदान करेंगे। कार्य समूह के विचारार्थ विषय संलग्न हैं।

31. एस्केप सचिवालय मंत्रालयी घोषणा पत्र तथा इचियोन रणनीति को लागू करने के लिए इसकी क्षेत्रीय संयोजन की भूमिका विश्लेषणात्मक कार्य तथा सरकारों को तकनीकी सहायता के माध्यम से योगदान करेगा। विशेषकर यह संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के सहयोग से निम्नलिखित कार्य करेगा

क. निःशक्त जनों के अधिकारों पर कन्वेंशन के साथ विधान का सामंजस्य बैठाने तथा अधिकार को वास्तविक बनाने के अभियान को बढ़ावा देने में सरकारों को समुचित सहायता देना;

ख. निःशक्त जनों के अधिकारों पर कन्वेंशन को बढ़ावा देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधायिका और प्रशासनिक संस्थानों के बीच अनुभवों की हिस्सेदारी सहित निःशक्तता समावेशी विकास में राष्ट्रीय अनुभवों और अच्छे व्यवहारों तथा निःशक्त जनों के अधिकारों के संरक्षण तथा उन्हें कायम रखने में सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों के बीच हिस्सेदारी को बढ़ावा देना;

ग. दशक के दौरान निःशक्तता सांख्यिकी में सुधार की प्रगति तथा सहायता को जांचना;

घ. निःशक्तता समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों की क्षमता के निर्माण में सहायता करना;

ङ. सिविल सोसाइटी के संगठनों, विशेषकर निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों के साथ मिलकर काम करना और हितधारक परामर्शों के लिए एक क्षेत्रीय मंच प्रदान करना।

ङ एशियन एंड पेसिफिक ट्रेनिंग सैंटर फोर इंफोरमेशन एंड कम्युनिकेशन टैक्नोलोजी फोर डवलपमैंट (एपीसीआईसीटी), इंचियोन, कोरिया गणराज्य ; एशिया एंड पैसेफिक सैंटर फोर ट्रांसफर आफ टैक्नोलोजी (एपीसीटीटी), नई दिल्ली ; स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट फार एशिया एंड पैसेफिक (एसआईएपी), टोकियो ; सैंटर फोर द एलेविएशन आफ पावर्टी थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (सीएपीएसए), बोगोर, इंडोनेशिया ; यूनाइटेड नेशंस एशियन एंड पैसेफिक सैंटर फोर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड मशीनरी (यूएनएपीसीएईएम), बीजिंग

32. निःशक्तता पर एशिया–प्रशांत विकास केन्द्र, जिसकी स्थापना निःशक्त जनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों को अधिकार प्रदान करने तथा एक अवरोध मुक्त और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए निःशक्त जनों के प्रथम एशिया और प्रशांत दशक की बपौती के रूप में की गई थी, उसे निःशक्तता अनुकूल उत्पादों, सेवाओं, रोजगार के अवसरों तथा उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले निःशक्तता समावेशी कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देते हुए निःशक्त जनों की क्षमता का निर्माण करने और बहु क्षेत्रीय सहयोग को जारी रखने के लिए कहा गया है।

33. अधिकार को वास्तविक बनाने संबंधी कोष को कोरिया गणराज्य में शुरू किया जाएगा, जिसे निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2011 तथा इंचियोन रणनीति के संबंध में मंत्रालयी घोषणा पत्र को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया है।

34. सिविल सोसाइटी संगठनों और विशेषकर निःशक्त जनों से संबंधित संगठनों को मंत्रालयी घोषणा पत्र और इंचियोन रणनीति को लागू करने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना तथा अपेक्षाओं और दशक के दौरान निःशक्त जनों की जरूरतों पर निरंतर कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करना।

अनुबंध

निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक पर कार्य समूह के विचारार्थ विषय

उद्देश्य

1. निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक के संबंध में प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्य समूह का उद्देश्य दशक, 2013–2022 के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों को तकनीकी परामर्श और सहायता प्रदान करना है।

कार्य

2. उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित उद्देश्य के अनुसरण में कार्य समूह निम्नलिखित पर सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों को परामर्श देगा :

   क. विशेषकर निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2013–2022 पर मंत्रालयी घोषणा पत्र तथा एशिया और प्रशांत में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति को लागू करने के संबंध में दशक की प्रगति की समीक्षा करना;

   ख. मंत्रालयी घोषणा पत्र और इंचियोन रणनीति के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग करना;

   ग. एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त जनों की उत्पन्न स्थिति पर शोध;

   घ. राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर विविध निःशक्त समूहों तक पहुंचना तथा नेटवर्किंग करना।

सदस्यता

3. कार्यदल में 'एस्केप' सदस्यों तथा एसोसिएट सदस्यों तथा एशिया और प्रशांत में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय स्तरों पर संचालित सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

4. कार्य समूह के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार होने की संभावना है।

5. सभी एस्केप सदस्य और एसोसिएट सदस्य कार्य समूह में काम करने के लिए पात्र होंगे।

6. कार्य समूह की संरचना में लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए 30 सदस्य होंगे : सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों से 15 तथा सिविल सोसाइटी संगठनों से 15 होंगे। सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए आवंटित कम से कम आधी सीटें निःशक्त जनों और उभरते सिविल सोसाइटी संगठनों के जिम्मे होगी।

7. एक सिविल सोसाइटी संस्था, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है, कार्य समूह के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए पात्र होगी : (क) एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय और/ अथवा उप क्षेत्रीय स्तरों पर संचालित हो; (ख) एक ऐसा संगठन अथवा नेटवर्क हो जो विविध निःशक्तता वाले व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व, सहायता तथा/ अथवा प्रोत्साहित करे; (ग) मंत्रालयी घोषणा पत्र और इंचियोन रणनीति के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञता हो।

8. व्यक्तिगत एस्केप सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के कार्य समूह में कार्यरत सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा, निःशक्त जनों के एशिया और प्रशांत दशक, 2003–2012, के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर 20 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2012 तक इंचियोन, कोरिया गणराज्य में उच्च स्तरीय अंतर–शासकीय बैठक में की जाएगी।

9. कार्य समूह की प्रस्तावित संरचना को अंतिम निर्णय के लिए उच्च स्तरीय अंतर–शासकीय बैठक के तत्काल बाद के सत्र में आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। अतः आयोग 2013 में अपने उनसठवें (59वें) सत्र में 2013 से 2017 तक की अवधि के दौरान के पहले कार्यकाल के लिए कार्य समूह की संरचना पर अंतिम निर्णय लेगा। कार्य समूह में कार्य के लिए

दूसरी, हितों की घोषणा, दशक के मध्य में (2017) आयोजित उच्चस्तरीय अंतर–शासकीय बैठक में की जाएगी। 2018 में आयोग अपने चौहत्तरवें (74वें) सत्र में, 2018–2022 तक की अवधि के दूसरे कार्यकाल के लिए समूह की संरचना पर अंतिम निर्णय लेगा।

10. एस्केप सदस्य और एसोसिएट सदस्य विशेषकर, सिविल सोसाइटी संगठन, निःशक्त जनों के संगठन, उप–क्षेत्रीय अंतर शासकीय एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, विकास सहयोग एजेंसियां तथा विकास बैंक कार्य समूह की बैठकों में प्रेक्षक के रूप में भाग ले सकते हैं।

कार्य प्रक्रिया के नियम

11. कार्य समूह कार्य प्रक्रिया के अपने नियम अपनाएगा।

सचिवालय

12. 'एस्केप' सचिवालय कार्य समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। यह अन्य बातों के साथ–साथ कार्य समूह के दस्तावेजों को सुलभ फार्मेट में प्रसारित करेगा।

निःशक्त जनों को :

देखा जाएगा	सुना जाएगा	गिना जाएगा

एशिया और प्रशांत में निःशक्त जनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए इंचियोन रणनीति को सहायता दें।